न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 112 /2021
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या– 2021/ 166

प्रार्थी

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19–ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा प्रांधिकृत अधिकारी धमेन्द्र पुत्र प्रेमराज गेहलोत, शाखा प्रबन्धक, एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह निवासी रावला भाग–2 कुन्डरी, नागौर 341503 राजस्थान।
2. श्रीमती मधुकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह निवासी 46–रावला भाग–2, कुन्डरी तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान 341503
   दूसरा पता–पट्टा नम्बर 10 रावल भाग गुढ़ा जगमालोता, जे.पी. टेहला, रियांबड़ी जिला नागौर राजस्थान–341503
3. करणसिंह राठौड़ पुत्र कुन्दनसिंह राठौड़ निवासी राजपूतों का बास, गुढ़ा जगमालोता, टेहला, जिला नागौर राजस्थान–341503
4. कुन्दनसिंह पुत्र प्रेमसिंह निवासी 196, शेखापुरा रोड़, गुढ़ा जगमालोता, तहसील डेगाना जिला नागौर, 341031 राजस्थान
5. श्यामलाल पुत्र कानाराम निवासी 109, मेघवालों का मौहल्ला गुढ़ा जगमालोता, थांवला टेहला, जिला नागौर 341031 राजस्थान।

आदेश दिनांकः 26-10-2021

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को जरिये **रूपये 10,00,000/–(अक्षरे दस लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 05.09.2016** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– पट्टा नम्बर 10, रावला भाग गुढा जगमालोता जे.पी. टेहला, रियांबड़ी जिला नागौर राजस्थान में स्थित अचल सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढ़ाचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 4526 वर्गफुट है, जो श्रीमती मधुकंवर द्वारा धारित है। जिसके पड़ोस निम्न है :– उतर में– रामनिवास का मकान, दक्षिण में–रास्ता, पूर्व में–गोपालसिंह का मकान, पश्चिम में–श्रीमती नथूकंवर का मकान है,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 30.11.2020** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी में **रूपये 11,47,199/–(अक्षरे ग्यारह लाख सेंतालिस हजार एक सौ निन्यानवें रूपये मात्र) दिनांक 20.05.2021 तक शेष देय एंव दिनांक 20.05.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 24.05.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, जो दिनांक 27.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पोस्ट कि[illegible]प्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस लौटकर नहीं आना एवं अप्रार्थीगण को प्राप्त हो जाना बताया है। प्रार्थी द्वारा धा[illegible]3(2) [illegible] नोटिस का दो अखबार एक हिन्दी एवं अग्रेजी भाषा के अखबार में प्रकाशन भी करवाया गया है, परन्तु अप्रा[illegible] द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया [illegible] उपरोक्त नोटि[illegible]नुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि में **रूपये 11,47,199/–(अक्षरे [illegible] लाख सेंतालिस हजार [illegible] सौ निन्यानवें रूपये मात्र) दिनांक 20.05.2021 तक शेष देय एंव दिनांक 20.05.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:42:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **सम्पति– पट्टा नम्बर 10, रावला भाग गुढा जगमालोता जे.पी. टेहला, रियांबड़ी जिला नागौर राजस्थान में स्थित अचल सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढ़ाचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 4526 वर्गफुट है, जो श्रीमती मधुकंवर द्वारा धारित है। जिसके पड़ोस निम्न है :– उतर में– रामनिवास का मकान, दक्षिण में–रास्ता, पूर्व में–गोपालसिंह का मकान, पश्चिम में–श्रीमती नथूकंवर का मकान है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **रूपये 10,00,000/–(अक्षरे दस लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 05.09.2016** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– पट्टा नम्बर 10, रावला भाग गुढा जगमालोता जे.पी. टेहला, रियांबड़ी जिला नागौर राजस्थान में स्थित अचल सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढ़ाचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 4526 वर्गफुट है, जो श्रीमती मधुकंवर द्वारा धारित है। जिसके पड़ोस निम्न है :– उतर में– रामनिवास का मकान, दक्षिण में–रास्ता, पूर्व में–गोपालसिंह का मकान, पश्चिम में–श्रीमती नथूकंवर का मकान है,** जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा एवं उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:42:33 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट,नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)